चाहता हूं कि गृह मंत्री को, प्रधान मंत्री को, भारत की सरकार को इसमें इन्टरवीन करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को बुला कर राउन्ड टेबिल बात करके जो पिछले साल एश्योरेंस दिए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए जिससे एम्लाईज और सरकार के रिलेशन्स, स्ट्रेन्ड होते जा रहे हैं न वे हों। ये तीन सुझाव मैं देना चाहता था और मैं सरकार से इसका जवाब चाहूंगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक बाढ़ और अराजपत्रित कर्मचारियों का सवाल है, मुझे इसके बारे में कुछ सूचना इस वक्त तो नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दूंगा और जो कुछ सम्भव हो सकेगा हम जरूर करेंगे ।

जहां तक सरकार बनाने का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि जब तक राज्यपाल महोदय को पक्का विश्वास न हो जाय कि वहां पर सरकार स्थायी रूप से किसी भी दल के द्वारा चल सकती है तब तक वे इस तरह का सुझाव राष्ट्रपति जी को नहीं देंगे। यह हम लोगों का अधिकार नहीं है कि राज्यपाल को कहें कि उन्हें निर्णय किस तरह करना चाहिए और किस तरह इस बात का परीक्षण करना चाहिए। वे अपनी स्वेच्छा से वहां की परिस्थिति समझबूझ कर जो उचित समझेंगे उस तरह का सुझाव देंगे और जब उनका सुझाव मिलेगा तब उसके ऊपर हम विचार करेंगे और निर्णय लेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE CRIMINAL AND ELECTIONLAWS AMENDMENT BILL,1969—*contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : We come back to the Criminal and Election Laws Amendment Bill, 1969. The First Reading was over. We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—*Substitution of new section for section* 153A

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : There are eight amendments. Mr. Niranjan Varma and Mr. Vaishampayen are not here. Mr. Ganeshi Lai Chaudhary, are you moving your amendment?

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I move :

20. "That at page 2, line 4, for the words 'or ill-will' the words 'ill-will or untouchability' be substituted".

मेरा जो एमेंडमेंट है वह बिलकुल सीधा-सादा है। मैं चाहता हूं कि जहां पर आपने . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA) : Ill-will or untouchabi-lity.

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY : "Feelings of enmity, hatred or ill-will".

दिया है उनके साथ 'अनटचेबिलिटी' भी जोड़ दें क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी श्री शंकराचार्य ने पटना में थोड़े दिन हुए एक सभा की और उस धार्मिक सभा में उन्होंने खुल्लमखुल्ला हरिजनों के खिलाफ प्रचार किया और अनटचेबिलीटी का प्रचार किया और आपका देश का जो कानून है उसके मातहत उनको सजा नहीं दिलाई जा सकी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब तक आप "अनटचेबिलिटी' को भी इसमें नहीं ला देते तब तक जो लोग हरिजनों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ छुआछूत मानते हैं, उनके खिलाफ प्रचार करते हैं उनको इस कानून के मातहत सजा नहीं दी जा सकती। यह कहने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे एमेंडमेंट को मान लें ।

The question was proposed.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : उपसभाध्यक्ष जी, जो यह प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह अनावश्यक है क्योंकि जो अनटचेबिलिटी या छुआछूत मिटाने का कानून 1955 में बना था उसमें हमने कुछ खामियां अवश्य पाई हैं। अब परिमल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम इस बात पर सोच-विचार कर रहे हैं कि उन खामियों को दूर करें ताकि उस तरह के दृष्टान्त, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताए, फिर न आ सकें और इन लोगों को जो छुआछूत की भावना फैलाते हैं न केवल रोका जा सके बल्कि ऐसे लोगों को सजा भी दी जा सके। इसके बारे में हम सोच-विचार कर रहे हैं। जो कानून इसके बारे में बना है उसी में सुधार की आवश्यकता है बजाय इसके कि इस कानून में ऐसा कुछ जोड़ा जाय। चूंकि मैंने यह बात अभी बताई कि हम कानून में सुधार करने के लिए सोचविचार कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को प्रेस नहीं करेंगे और उसे वापस ले लेंगे।

श्री नेकी राम (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं हाउस के नोटिस में और आपके नोटिस में एक-दो बातें ला दूं। जैसा मेरे साथी ने कहा, इनसान से छुआछूत करना जुर्म है। और एक दल ऐसा भी है एलेक्शन में कि जो छूत को बढ़ावा देता है और चाहता है कि वह जाने न पाये। जैसे मैं एक बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं तो दूसरी बिरादरी वाला कहता है कि यह तुम्हारे यहां जा कर बैठता है, हम भी तुम्हारे बराबर जा कर बैठेंगे इस लिए हम को वोट दो और इस पर वह सब एग्री कर जाते हैं। इस लिए मैं हाउस के जरिये और आप के जरिये प्रार्थना करूंगा कि इस सवाल पर भी विचार किया जाय।

Shri GANESHI LAL CHAUDHARY: I would like to withdraw my amendment.

**** Amendment No. 20 was, by leave, withdrawn.***

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 *was added* :o *the Bill.*

Clauses 3 *to* 7 *were added to the Bill.*

Clause 8—Composition of the PressConsultative Committee and rules inrespect thereof

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY : Sir, I move :

24. "That at page 5, line 21, for the words 'and journalists' the words 'journalists, public men and persons from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes' be substituted."

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सेक्शन 8 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रेस कसल्टेटिव कमेटी जो बनेगी उस का कंपोजीशन क्या होगा। उस में दिया गया है कि उस में एडीटर्स होंगे, पब्लिशर्स होंगे और जर्नेलिस्ट्स होंगे, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये यह कहना चाहता हूं कि इस में जोड़ दिया जाय कि "पब्लिकमेन ऐंड परसन्स फ्राम दि शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स"। मैं यह इस लिए कहता हूं कि जब भी कोई बात आती है किसी जगह के लिए तो मैं देखता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो आदमी हैं वह नहीं लिये जाते। जब आप इस का कांस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप बिल में ही इस बात की ताकीद कर दें कि इन तबकों के आदमी भी इस प्रेस कमेटी में रहें। मैं यह इस लिए कह

♦For text of amendment, vide col. 5764 supra.

रहा हूं कि ऐसा देखा गया है कि जब भी समय आता है तो, जहां हरिजनों या गिरिजनों का रिजर्वेशन नहीं है वहां उन तबकों के आदमियों को कहीं नहीं लिया जाता। आज बीस, बाइस वर्ष हो गये, आप ने अपने कानून में यह रखा है कि सर्विसेज में रिजर्वेशन हो। लेकिन जब मैं पिछले बीस वर्ष के इतिहास को देखता हूं तो पाता हूं कि हम लोगों का परसेंटेज मुश्किल से एक या दो परसेंट है। मेरा ख्याल है कि अगर इसी गति से आप चलेंगे तो शायद इसे पूरा होने में सौ, दो सौ वर्ष लगेंगे और चार सौ वर्ष भी लग सकते हैं। मैं यह इस लिए भी कहता हूं कि जब संविधान कहता है कि हरिजनों का रिजर्वेशन होना चाहिए तब भी इस प्रकार की व्यवस्था न होना साफ साफ हमारे संविधान की अवहेलना है। इस लिए मैं चाहूंगा कि आप जो भी एक्ट बनावें उस में जहां भी किसी के नामिनेशन की बात करें, कमेटीज की बात करें वहां पर हरिजनों के रिजर्वेशन की बात अवश्य होनी चाहिए, वरना मैं देखता हूं कि हरिजन या गिरिजन इन कमेटियों में नहीं आ पाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें।

The question was proposed.

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो समिति बनायी जा रही है इस विधेयक के अन्तर्गत, इन का काम यह रहेगा की यदि किसी अखबार के ऊपर कोई कार्यवाही करनी है, उस के प्रति किसी को कोई शिकायत है तो वह शिकायत इन समितियों के सामने जायगी और उस पर सोच विचारकर समिति सरकार को राय देगी की उसे क्या करना चाहिए। चूंकि इनका काम अखबारों से सम्बन्धित है इस लिए यह प्रावधान किया गया है कि इस में पत्रकार लोग और हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और दूसरे जो व्यक्ति हैं उन को इस में शामिल किया जाय। इस में हमारे हरिजन भाई या गिरिजन भाई या और भी विभिन्न लोग शामिल किये जा सकते हैं।

श्री नेकी राम : यह गिरिजन कहां से आ गये। कानून में तो कहीं नहीं हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य का यह कहना बहुत अंश तक सही है कि बहुत से क्षेत्रों में हरिजन भाई या गिरिजन भाई नहीं लिये जाते। इस के लिये हम प्रयत्न बहुत कर रहे हैं और कहीं कहीं उन के लिये स्थान सुरक्षित किये गये हैं। कहीं कहीं उन को सुरक्षित किये हुए स्थानों से भी ज्यादा स्थान मिले हुए हैं। जैसे इस सदन में उन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन तो भी बहुत से माननीय सदस्य जो हरिजन या गिरिजन हैं, यहां आये हैं और यहां के सदस्य भी हैं, और मैं मानता हूं कि जहां आवश्यक हो वहां यह अवश्य करना चाहिए। जहां तक सर्विसेज का सम्बन्ध है वहां पर तो इस तरह का रिजर्वेशन किया गया है और प्रयत्न यह किया जा रहा है कि जो सुरक्षित स्थान हैं, उन में ज्यादा से ज्यादा लोग आयें। हम को मालूम है कि उस में क्या दिक्कत होती है, लेकिन उस के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस समिति में इस तरह का कोई रिजर्वेशन करने से कोई फायदा होगा या यह आवश्यक है। यदि यह आवश्यक होता तो मैं बिना हिचक इस को मंजूर कर लेता। मैं चूंकि समझता हूं कि इस तरह का रिजर्वेशन इस समिति में अनावश्यक है इस लिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन पर जोर न डालें।

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY; Sir, I would like to withdraw my amendment.

Amendment No. 24 *loas, by leave, withdrawn.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That clause 8 stands part of the Bill."

The *motion was adopted.*

Clause 8 was added to the Bill.

For text of amendment, *vide* col. 5766 *supra.*

[The Vice-Chairman]

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह बिल इस लिए लाया जा रहा है कि जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उन को रोका जाय, मानव के प्रति मानव की जो घृणा है उस में रुकावट डाली जाय। और यह ठीक है, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उन को रोकना ही होगा । किन्तु मुझे इस में शंका होती है कि इस प्रकार के कानूनों से इस में किसी प्रकार की रुकावट आयेंगी । मुझे यह बात याद आ जाती है श्रीमन्, कि एक व्यक्ति स्वस्थ तो रहना चाहता है किन्तु वह इस प्रकार की हरकतें करता है कि जिस से स्वास्थ्य खराब हो । वह खूब ठूंस ठूंस कर खाता है और ज्यादा खा लेने पर चूरन खाता है कि खाना हजम हो जाय। बजाय इस के कि वह सीमित खाना खाये ताकि चूरन खाने की जरूरत ही न पड़े । मेरे कहने का मतलब यह है कि 'प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर' । इस वक्त भावनाएं ही इस तरह की बननी चाहिए थीं कि उन से इस प्रकार की भावनाएं दूर होतीं, किन्तु बड़े दुःख के साथ हम को कहना पड़ता है कि विगत 22 वर्षों में इस प्रकार की भावनाएं बढ़ी हैं, घटी नहीं हैं । प्रारम्भ से ही, प्रातःस्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी से ले कर आज तक सभी ने इस के लिए कार्य किया है, किन्तु आज भी मैं यह देखता हूं कि इस जमाने में भी स्थान स्थान पर सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, मजहब के नाम पर मार-काट होती है ।

मैं कल अधिक देर तक यहां नहीं रहा किन्तु मैंने कल थोड़ी देर तक मौलाना असअद मदनी का भाषण सुना और उसमें उन्होंने ये शब्द कहे कि हम तबाह किये जा रहे हैं, हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमारी सफाई हो रही है । इस प्रकार की प्रवृत्ति उन्होंने यहां बताई । उन्होंने यह भी बताया कि जगह जगह साम्प्रदायिक झगड़े होते हैं और वहां पर हमारे ऊपर एक प्रकार से अन्याय ही किया जाता है । ऐसी बात उन्होंने कही । वह इस समय यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने यह भी कहा कि हर जगह जहां जहां झगड़ा हुआ मैं गया, वह यहां होते तो मैं उनसे यह पूछता कि वह कौनसा स्थान है जहां कि मौलाना मदनी जी गये हों और झगड़ा न हुआ हो । मैं यह बड़े थोड़े में कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों का यह काम ही है, वह इसी मिशन को लेकर आये हैं, कि झगड़ा कराया जाय । मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ में मैंने देखा कि शेख अब्दुल्ला को बुलाया गया और उन लोगों ने बुलाया जो कि अपने आप को बड़ा नेशनलिस्ट कहते थे, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो कि अराष्ट्रीय है, जो कि काश्मीर को हमसे बांट देना चाहता है, भारत के प्रति उसके जो भी विचार हैं वह सभी जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को खुल्लम खुल्ला बुलाया गया और अपने आप को राष्ट्रीय कहने वाले मुसलमानों ने उसको बुलाया और उसका नाम ले कर जो झगड़ा वहां हुआ उसकी वह हवा वहां बांधी कि हम मुसलमानों पर इतना अत्याचार हुआ । इलाहाबाद का भी हमें मालूम है, रांची का मालूम है, आसाम और गौहाटी में जो हुआ उसके विषय में भी मालूम है । मैं क्या सरकार भी इस सब को जानती है । जहां जहां जुडीशियल इंक्वायरी बैठी है, जुडीशियल कमिशन्स बैठे हैं उन कमिशनों की रिपोर्ट्स को भी मदनी साहब झुठला देते हैं, वह कहते हैं कि सरकार की मशीनरी भी बेईमान है, जुडीशियरी भी बेईमान है क्योंकि उन्होंने वास्तविकता सामने लाकर रख दी । श्रीमन्, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि रिपोर्ट्स भी यह कहती हैं, कमिशन्स भी यह कहते हैं कि जहां जहां भी झगड़ा हुआ अधिकांश स्थानों पर पहल जो है वह हमारे मुसलमान भाईयों की तरफ से हुई । जब वह पहल हो गई और जब उसका जवाब देने के लिए लोग आते हैं तो उसको भी बड़ा बना कर सामने रख दिया जाता है ।

मैंने प्रारम्भ में ही यह बात की थी कि एक अल्पसंख्यक है, मेजारिटी है, माइनारिटी है,

एक अल्पसंख्यक है, एक बहुसंख्यक है, इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार की जो धारणा हमारे देश के अन्दर है उससे, श्रीमन्, सुधार होने वाला नहीं है। मैं यह समझता हूं कि सारा राष्ट्र अपना है, एक परिवार है। एक परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी है, और परिवार में पारिवारिक भावना के वशीभूत हो कर सब के लिये समान व्यवहार हुआ करता है, आप जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको अधिक दूध की आवश्यकता होती है, अधिक शिक्षा की आवश्यकता होती है और अगर बड़ा बच्चा यह शिकायत करने लगे कि क्यों उसको अधिक देते हो तो जरा सा बुरा लगता है, लेकिन अगर उसको यह कह कर दिया जाय या यह साबित होने लगे कि उसके साथ तरफदारी करना चाहते हैं तो फिर आपस में बड़ी जेलसी पैदा हो जाती है। तो पारिवारिक भावना भी बनी रहे और यह भी महसूस न हो कि किसी के साथ कोई विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है तब पारिवारिक भावना बनी रहती है, नहीं तो वह टूट जाती है। आज स्थिति यह है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। हमेशा हम हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये नारा लगाते रहे और आज तक इतनी इंटेग्रेशन कौंसिलें काम करती रहीं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसके द्वारा कोई चीज ठीक हो जायगी जब तक कि यह भावना नहीं होगी कि हम राष्ट्रीय हैं, यह हमारा देश है, हम इस मिट्टी से पैदा हुये हैं और इसी में हम मर जायेंगे। शुरू से ले कर अब तक के इतिहास को हम देखते हैं तो पहले पांच मांगें आईं, फिर 14 मांगें आईं, फिर कम्युनल एवार्ड आया और फिर पाकिस्तान बन गया और अब हिन्दुस्तान के अन्दर पाकिस्तान बनाने की योजना चल रही है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, मैं आज यहां कह देना चाहता हूं मुझे क्षमा करेंगे, तब किस प्रकार ऐसा हो सकता है कि हिन्दू को छेड़ा जाय, यहां का जो रहने वाला राष्ट्रीय है, जो अपने को राष्ट्रीय मानता उसको छेड़ा जाय और छिड़ कर के, पिट कर के वह बैठ जाय, यह तो नहीं होगा देश के अन्दर। मेरे अनेक मित्र मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनका सचमुच में राष्ट्रीय चरित्र, है पहले भी ऐसे हो चुके हैं और अब भी हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। कल बैरिस्टर साहब ने भी हरिजनों की बात कही थी, हरिजानों के प्रति दुर्भावना फैलाने की बात की जाती है और आज 22 वर्ष के पश्चात् भी यह बीमारी दूर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है। इस वास्ते कि राजनैतिक रूप से इसको देखते हैं। पहले भी जब मुझे अवसर मिला था तब मैंने कहा था कि यह राजनैतिक बीमारी नहीं है, कानून इसको ठीक नहीं कर सकता, इसको समाज ही ठीक करेगा, यह सामाजिक बीमारी है। प्रश्न यह है कि इस सामाजिक बीमारी को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। मैं देखता हूं कि 22 वर्ष के अन्दर दलितों, हरिजनों और गिरिजनों का एक अलग वर्ग बन कर तैयार हो गया है। मुझे मालूम है, इस फील्ड में मैंने काम किया है, शुरू में जो हमारे हरिजन भाई आगे बढ़ना चाहते थे वह अपने आप को कहां करते थ कि हम हरिजन नहीं हैं लेकिन अब वह अपने आप को हरिजन और दलित कहने में फख्र हासिल करते हैं। किस वास्ते। इसलिये कि उनका एक वर्ग बन गया है और वर्ग बनने में राजनैतिक फायदा है। यह भावना पैदा हो रही है कि एक अलग वर्ग बनाना चाहिये ताकि राजनैतिक लाभ मिले, यह जो भावना है उससे समाज नष्ट हो जायगा और उस पर कुठाराघात करना होगा। समाज के द्वारा सरकार के द्वारा कानून बनते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि कानून आवश्यक हो सकते हैं फिर भी उनको कहां तक बनाते चले जायेंगे जब कि इस प्रकार भावना काम करती रहे क्योंकि मुझे मालूम है कि इस प्रकार के एलिमेंटस, इस प्रकार के तत्व यहां पर काम कर रहे हैं जिनकी धारणायें, जिनकी भावनायें, जिनका विश्वास कहीं बाहर है और वह यहां पर काम करते हैं। श्रीमन्, इसको कैसे रोका जा सकता है। जो भाई यहां पर इस

[श्री मनसिंह वर्मा]

देश को अपना देश समझते हैं, इस भूमि को अपनी भूमि समझते हैं, इसकी मिट्टी को अपना शरीर समझते हैं, मैं समझता हूं कि कभी भी उसके द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता जो कि देश का विघटन करने वाला कार्य हो या जिससे देश को किसी प्रकार की हानि होती हो।

मैं अधिक न बोलते हुये यह निवेदन करूंगा कि यह ठीक है कि मंत्री महोदय आप कानून बना रहे हे लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के कुछ कार्य होने चाहिये जिससे कि जिन कारणों से इस प्रकार की यह जो भावना है वह दूर हो जाय। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे क्षमा करेंगे, यह समस्या बराबर बनी रहे ऐसा प्रयास अब तक किया गया है क्योंकि यह समस्या अगर खत्म हो गई तो अनेकों की लीडरी खत्म हो जायगी, वोट मिलेगा नहीं। मैं जानता हूं, यह कितनी विडम्बना है कि 22 वर्ष के बाद भी हरिजन समस्या आज भी विशेष रूप से गम्भीर बन कर सामने आ रही है। क्या कारण है। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक यह समस्या बनी रहेगी तब तक हमारी नेतागिरी बनी रहेगी, लीडरी बनी रहेगी, वोट मिलता रहेगा और जो राजनैतिक वैलेंस है वह इसी प्रकार से बना रहेगा। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस धारणा को समूल नष्ट करना पड़ेगा, इसको समाप्त करना पड़ेगा और हमारे जो हरिजन भाई हैं उनको भी इस बात के लिये विचार करना होगा। उनको हीन भावना को त्याग कर के अपने को बढाना है। मैं मानता हूं कि बड़े बड़े अत्याचार उन पर हो रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : तृतीय वाचन में भाषण भी समाप्त करना है।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : यह तो आपने अपना प्रवचन कर दिया।

श्री मानसिंह वर्मा : प्रवचन नहीं करता, मैं एक कार्यकर्ता हूं।

श्रीमन्, यह जो विधयक लाया जा रहा है कि जो इस प्रकार की भावना है उसको दबाया जाय, मगर यह दबे कैसे। देखा जाय तो इससे पहले भी इस तरह के कानून बने हुये थे कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है तो उसको सजा दी जाय, उसको रोका जाय। अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि छुआछूत को रोकने के लिये, उसको दूर करने के लिये कानून बना हुआ है और मुझे मालूम है, मुझे सारे हिन्दुस्तान में जाने का मौका मिला है मैं जानता हूं कि जहां जहां पर वह कानून लागू है, जिन जिन स्टेट्स में वह लागू कर दिया गया है, वहां वहां कितने मुकदमे आज तक चले हैं और कितनों में सजायें हुई हैं। न मुकदमे चले हैं और न सजायें हुई है। तो ऐसे विधेयकों का कोई उपयोग नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, 'आई मे बी रांग' कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन, कोई भी सामाजिक सुधार हृदय परिवर्तन से, मस्तिष्क परिवर्तन से, चेंज आफ विजन से हुआ है, कभी भी वह डंडे के जोर से नहीं होता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जहां आप इस प्रकार के कानून लाते हैं और ठीक है उसके लिये सख्त से सख्त कानून बनाते हैं वहां उसकी ओर भी ध्यान करें क्योंकि एक साल में, दो साल में हो सकता है और भी सख्त कानून बनाना पड़ेगा अगर इस भावना का मूलोच्छेदन नहीं हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

3 P. M.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, the particular object of this Bill is commendable because it seeks to fight the communal virus in our country and in this respect the Government should receive the all-out support from all sections of this House. I extend my support to this measure. While extending my support I cannot but make certain observations looking at the figures of the communal disturbances very recently . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA : And also looking at the fact that it is the third reading.

SHRI CHITTA BASU : . . . and of -course, also bearing in mind that I am speaking at the fag end of the debate. Sir, I hope you will agree with me that these communal incidents instead of being on the decrease, are actually on the increase as certain figures which are with me. suggest. The number of such incidents in 1966 was 132. It increased to 220 in 1967. It has further increased to 349 in 1968. And for the first three months of the present year it has already reached 101. Thus, I would like to emphasise that the number of communal incidents is on the increase and this has to be fought squarely. I am sorry to say that unless this communalism is fought on the political level and other levels, it is not going to be a successful attempt. I am greatly surprised when I listened to my friend, Mr. Man Singh Varma, that «ven there are certain political approaches to this particular problem which, instead of easing the situation, will aggravate the situation. Since I have not got much time at my disposal I shall not discuss the problem in detail. But I strongly feel and I hope the entire House will share my feelings when I say that it is the principal and primary responsibility of the majority community to ensure the security of the minorities living in this country, be it religious minorities, be it linguistic minorities, be it minorities of other nature. The responsibility lies squarely with the majority community. And I am sorry to say that the majority community is also being infected by communalism and certain political parties are also creating such conditions. There lies the great danger. There lies the great anxiety. Sir, I think you have become very much restless to conclude this debate. I would only say that unless we adopt this kind of a political approach that it is the majority community which has to ensure the security of the minority communities, I think the communal incidents, instead of decreasing, will only increase. Therefore, while supporting this measure which has a very limited purpose. I urge upon the Government not to remain content only with certain legislative measures of the nature that they have now brought forward, but to take other steps, namely, there should be a consistent campaign for communal amity, there should be a systematic campaign among the younger generation against the communal virus, I suggest that there should be an all-party committee at all levels to fight this communalism and at the same time certain vigorous, energetic programmes should be undertaken for the socio-economic upliftment of the minorities, whether of a religious nature or of a linguistic nature or of any other nature. That alone can create conditions which will banish communalism from our country and make the secular concept of our country a permanent feature in our life. With these words I support the measure.

श्री राजनारायण (उत्तरप्रदेश) : श्रीमन् . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : 4 घंटे के समय में 10 मिनट बाकी हैं ।

श्री राजनारायण : यानी, जितने लोग बोले हैं उसके हिसाब से देख लीजिए ।

मैं बहुत सी बातों का इस समय जवाब देना चाहता हूं । यह विधेयक जो इस रूप में प्रस्तुत है, बहुत अनावश्यक है, व्यर्थ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री शीलभद्र याजी : आपकी नजर में सब व्यर्थ है ।

श्री राजनारायण : क्योंकि अगर यह सरकार राष्ट्रीय एकता चाहती है, यदि यह सरकार चाहती है कि साम्प्रदायिकता की बाढ़ न हो तो इस विधेयक में ऐसी कौन-सी बात है जो रोके और यह कौन-सी बात इसमें है जो पहले नहीं है ?

श्री शीलभद्र याजी : 3 वर्ष, 5 वर्ष के डंडे की सजा है ।

श्री राजनारायण : मैं पहले ही उसको बोल दूं, 3 वर्ष, 5 वर्ष का डंडा हो, *या 3 महीने या* 6 महीने का डंडा हो, अगर उस डंडे को बर्दाश्त

[श्री राजनारायण]

करने वाला शीलभद्र याजी सा जबर्दस्त गुंडा हो . . .

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य को गुंडा कहना ठीक नहीं है । गलत बात है । कोई हद होनी चाहिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायणजी, पहले मेरी रूलिंग है। "Goonda" is not parliamentary. "Goondaism" is. So you cannot use "goonda".

श्री राजनारायण : मगर मैं, चूंकि आप एक साहित्यिक रूप में गये, इसलिये बता दूं अगर आपकी ऐसी रूलिंग निकली हो तो ठीक है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : यह पुरानी है, आज की नहीं है ।

श्री राजनारायण : गुंडा शब्द, श्री जयशंकर प्रसाद जो महान् कवि सम्राट् हैं, उनके प्रति बहुत ही अन्याय हो जायेगा । हमारे शिक्षा मंत्री यहां बैठे हुए हैं वह जानते हैं श्री जयशंकर प्रसाद ने गुंडा नाम की एक ऐतिहासिक कहानी लिखी है ।

श्री शीलभद्र याजी : हम बराबर उन्हें इसी शब्द से विभूषित करेंगे लेकिन गुंडा शब्द के पहले उनको 'इस्टीम्ड' लगाना चाहिये । इस्टीम्ड गुंडा कहें ।

श्री राजनारायण : उन्होंने कहा, गुंडा है वह जो दूसरों की मुसीबत में अपने सर्वस्व की बाजी लगा कर, हिम्मत करके, उसे मुसीबत से बचाये । तो वह ननकू गुंडा था, जब वारेन हेस्टिंग्ज आया था और जब चेत सिंह भागा था तो ननकू गुंडा को याद किया था । वह उस "गुंडा" नामक कहानी में है । तो हमने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये गुंडा कहा है । और देखिये, हमारे जो राष्ट्रपति चुने गये हैं वह बराबर कहते हैं "आई एम ए पोलिटिकल गुंडा" । पहले दिन उनके दामाद का टेलिफोन आया, श्रीमन्, मैं वहां गया था ।

श्री रिजकराम (हरियाणा) : यह शब्द अच्छा है तो अपने लिये रिजर्व कर लीजिए ।

श्री राजनारायण : मैं आपको बताता हूं । हम सुबह उनके यहां मिलने गये थे । तो उनके दामाद ने क्या कहा । उन्होंने कहा कि "Connect the telephone and tell him that one goonda wants to talk to another goonda." तो गुंडा एक बहुत आदरणीय शब्द है । हम उसी अर्थ में गुंडा का प्रयोग करते हैं, हम मुछमुंडे गुंडों के लिये प्रयोग नहीं करते हैं, जो आजकल के लफंगे लोग हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायणजी, विधेयक पर आइये ।

श्री राजनारायण : अच्छा मैं विधेयक पर आ रहा हूं । हमारे मित्र चले गये । अच्छी तरह से देख लिया जाये । आज इस देश में जितनी संप्रदायवादिता है, आज इस देश में जितनी जातिवादिता है, आज इस देश में जितनी क्षेत्रीयवादिता है, आज इस देश में जितना भाषा का तनाव, झगड़ा है, यह सब की जननी कांग्रेस की सरकार है । अगर कांग्रेस की सरकार न रहे तो न क्षेत्रीयता रहेगी, न भाषा का विवाद रहेगा न सप्रंदायवादिता रहेगी, न देश में किसी प्रकार का तनाव रहेगा, क्योंकि सारे के सारे झगड़े इसने खड़े किये । आप कहीं का उदाहरण ले लीजिए, श्रीमन्, आप ले लीजिए, इलाहाबाद, आप ले लीजिए मेरठ, आप ले लीजिए रांची, आप ले लीजिये सुरसंघ, आप ले लीजिए अलीगढ़—1951, 1956 और 1961—आम निर्वाचन के पूर्व कांग्रेस सरकार ने हिन्दू मुस्लिम दंगा कराया ।

श्री शीलभद्र याजी : गलत बोलते हैं ।

श्री राजनारायण : इसीलिये कराया कि मुसलमानों का वोट डरवा कर ले ले । एक तरफ उनके गुरगे दंगे करवायेंगे और जब बेचारों की कुछ मस्जिद की ईंटें गिरेंगी तो यह अपने उम्मीदवारों से उस मस्जिद को बनाने के लिये,

ईंटें लगाने के लिये पैसा देंगे । मैं हैरत में हूँ । यहाँ नूरूल हसन हैं उनसे पूछ लिजिए, अलीगढ़ का जो दंगा हुआ था ठीक 2 अक्टूबर को---गांधी जयंती थी, नेशनल इन्टीग्रेशन बैठा था दंगे हो गये । दिल्ली की नाक के नीचे. . .अरे अकबर अली खान साहेब बिल्कुल सोये हैं। अरे घर जाकर सोइये । तो यह जो इलेक्शन की बात आई है, मैं इस संबंध में गांधीजी का एक वाक्य कहना चाहता हूं । गांधीजीने जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गये, तो कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गये आशीर्वाद लेन । बापू ने कहा था "Learn. Now you have got power. Learn to sit light, not tight". एक वाक्य में गांधीजी ने कहा था कि आप लोग कुर्सियों पर लाइट बैठो, हल्कापन से बैठो और चेयर पर जोर देकर न बैठो । लेकिन यह कांग्रेस सरकार कुर्सियों पर इस तरह से चिपक गई है कि अब वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती है । अब कांग्रेस की सरकार कुर्सियों में टाइट होकर बैठ गई है और गांधीजी के वाक्य को बिल्कुल भूल गई है और हमेशा के लिए कुर्सियों पर चिपका रहना चाहती है ।

श्रीमन्, मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले ले और एक क्लाज़ आखिर में इसमें और जोड़ दे कि अगर कोई पार्टी का सदस्य पार्टी में रहते हुए पार्टी के उम्मीदवार की मुखालिफत करेगा तो उसे 6 साल की सजा दी जायेगी । यह चीज इसमें होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले और इसकी गम्भीरता को सोचे कि इस देश में जनतंत्र चलेगा या इस देश में तानाशाही चलेगी । इस देश में पार्टी व्यवस्था चलेगी या फिर इस देश में पापाचार चलेगा । पार्टी का एक कैंडिडेट है और हम में इतनी नैतिकता न हो कि पार्टी से अलग होकर उस पार्टी के उम्मीदवार की मुखालिफत करें । राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें इतनी भारी गड़बड़ी हुई । भारत एक महान् देश है और दुनिया में सब से बड़ा जनतंत्र है और आज दुनिया में उसकी हंसाई हो रही है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं . . .

श्री शीलभद्र याजी : हमारी पार्टी में क्या होता है, इससे आपको क्या लेना है ? क्यों आप लोगों की नानी मर रही है ?

श्री राजनारायण : किसी के घर की बात नहीं है और किसी के बाप की बपौती नहीं है । यह सार्वजनिक सवाल है और सार्वजनिक रूप से उठ खड़ा हुआ है और इस सवाल का जवाब होना ही चाहिये । आखिर शासन कैसा होना चाहिये । अगर देश में रूलिंग पार्टी का अनुशासन टूटता है तो सारे देश का अनुशासन टूटता है । आज कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है । आज पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी मुखालिफत पार्टी के लोग कर रहे हैं । यह तो वैसी ही कहावत हो गई जैसे "चोर चोर, मौसेरे भाई की" । सारे देश में बहुत जोरों का बावेला मचा हुआ था कि अनुशासन होगा, अनुशासन होगा, यह किया जायेगा वह किया जायगा । मगर एकदम जिस तरह से बैलून की सारी हवा निकल जाती है और वह चिपक जाता है उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की भी हालत हो गई । उसकी भी सारी हवा निकल गई और गई वह चिपक कर बैठ गई है । यह क्या तमाशा है । मैंने पहले ही कहा था की अगर किसी में तनिक भी सम्मान होता, किसी पार्टी या उसके सदस्यों में होता, तो इस तरह की बात नहीं की जाती ।

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में सरकार और पार्टी का कोई रिश्ता बतलाया गया है, मैं चाहता हूं कि इस तरह का विधेयक बनाया जाता जिसमें पार्टी और सरकार का रिश्ता निरापद होता । पार्टी सरकार होगी या सरकार पार्टी होगी । इस विधेयक में इस तरह का अभाव है ।

श्रीमन्, हमारे मित्र ने इस विधेयक में कुछ संशोधन हरिजनों के सम्बन्ध में पेश किए हैं । जब किसी चीज में कोई आस्था नहीं होती है किसी चीज में कोई विश्वास नहीं होता

[श्री राजनारायण]

है, तो इधर उधर की बातें करके उसके वापस ले लिया जाता है । मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे मित्र ने अपने संशोधनों को वापस ले लिया है । आज अगर हरिजनों के लिए कुछ सीटें रिज़र्व नहीं होतीं तो क्या पार्लियामेंट में और विधान सभाओं में हरिजन आ पाते । हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारी कृपा से ये लोग आये हैं और इन्हें ले लिया जायेगा और अगर हमारी इच्छा होगी तो कुछ हरिजनों को ले लेंगे । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में निश्चय हो जाना चाहिए कि इतना प्रतिशत हरिजनों को कमेटी में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । जहां पर पिछड़े हुए हरिजन हों, मुसलमान हों, दबे हुए लोग लोग हों, गरीब आदिवासी हों, औरत हों, शूद्र हों, जो कि समाज का 90 प्रतिशत हिस्सा है, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में कम से कम 60 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । इस तरह का उन्हें चाहे व्यापार हो, सचिवालय हो, पल्टन हो, हर जगह पर 7 प्रतिशत मिलना चाहिए तब जाकर मसला हल हो सकता है वरना टांय टांय फिस (*Interruptions.*) कौन क्रांतिकारी है और कौन नहीं है, इस बारे में सारे देश में हल्ला मचा हुआ था ।

(*Interruptions.*)

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सारे देश में इस बात का हल्ला मचा हुआ था कि कौन क्रान्तिकारी है । सरकार ने कहा कि हम क्रांतिकारी हैं क्योंकि हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री आर० के० बिड़ला ने श्री गिरि को अपना वोट दिया, तो क्या व समाजवादी हो गए । श्री दिनेश सिंह ने तमाम लोगों को बेदखल करके गरीबों के बगीचों को अपना घर खड़ा किया है, क्या वे समाजवादी हो गए । आज वे अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, क्या वे समाजवादी हो गये ।

(*Interruptions.*)

श्रीमन्, यह जो विधेयक है उसमें रिलिजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट एंड कम्युनिटी आदि, शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें जाति प्रथा का नाम नहीं है । रेस की परिभाषा भिन्न हो सकती है, धर्म की परिभाषा भिन्न हो सकती है, तो मेरा कहना है कि इसमें जाति क्यों नहीं लिख दी गई है । अगर कोई कहेगा कि हरिजन जाति है । श्रीमन्, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 13 तारीख को हमारी गवाही थी क्योंकि श्री शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा चल रहा था । श्री शंकराचार्य जी ने कहा है कि हिन्दू धर्म में अछूत हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्री है । उनके ऊपर इस सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं हुई । श्री चव्हाण साहब ने कहा कि हम कानून की सलाह ले रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौनसी कानूनी सलाह ले रहे हैं । क्या हम लोग कानून के पढ़े हुए नहीं हैं । क्या कानून यह नहीं कहता है कि अगर कोई किसी जाति के खिलाफ गलत प्रचार करता है, समाज में तनाव पैदा करता है, किसी को नीची जाति कहता है तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है । लेकिन इस सरकार को लानत है जो अपने को क्रान्तिकारी का दम्भ भरती है । जो सरकार कहती है कि हम हरिजनों की फिक्र करते हैं और उनकी भलाई करना चाहते हैं, इस विधेयक में उसने जाति प्रथा शब्द को नहीं रखा, तो वह किस तरह से उनकी भलाई कर सकती है ।

श्रीमन्, आप देखिये कि आज, कांग्रेस की पार्टी में क्या हो रहा है ? अगर पार्टी के उम्मीदवार का कोई विरोध करे तो उसको 8 साल तक किसी भी निर्वाचन से खड़े होने की अनुमति नहीं दी जायेगी । अगर इस तरह की बात इस विधेयक में नहीं होगी तब तक यह विधेयक सफल नहीं हो सकता है । अगर कोई चोरबाजारी करता है, तिकड़म करता है, सत्ता का दुरुपयोग करता है, जिस तरह से दिनेश सिंह ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, राजपूत विधायकों को चिट्टी लिखी, जनसंघ वालों को चिट्ठी लिखी (*Interruptions.*) वह चिट्टी हमें दिखलाई गई है ।

(*Interruptions.*)

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : आइ एम कालिंग दी मिनिस्टर ।

श्री राजनारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात का पता लगाया जाये कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कितने टेलीफोन राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में हुए हैं । क्या इस तरह की तानाशाही चलेगी । मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी, व्यक्तिगत तानाशाही नहीं चलेगी । एक व्यक्ति के पीछे आज सारे देश को तबाह किया जा रहा है । अगर देश के सारे साधनों का इस तरह से दुरुपयोग किया जायेगा तो यह देश डूब जायेगा । इसलिए मैंने कहा, ऐ निज-लिंगप्पा, तुम कितने बेहैया हो कि तुम आज कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हो, तुम्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिये (*Interruptions*) उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये वरना उनका रहना निरर्थक है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मानसिंह वर्मा और श्री चित्त बासु ने जो मुद्दे इस विधेयक के सम्बन्ध में उठाये हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूं । मानसिंह जी ने यह कहा कि हमें राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है और हमें अलगाव की भावना को दूर करना चाहिये । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य भी यही है । इस तरह की कुत्सित भावना जो फैलाना चाहते हैं उनको सजा देने का ही प्रावधान इस बिल में किया गया है । अलगाव की भावना फैला कर लोगों को अलग अलग करना, उनमें एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करना, एक दूसरे के मन में द्वेष पैदा कर के अलगाव की भावना पैदा करना, चाहे वह भाषा के प्रश्न पर हो, चाहे वह धर्म के प्रश्न पर हो, चाहे वह क्षेत्रीय भावना के प्रश्न पर हो, इन सब बातों को इसमें जुर्म करार दिया गया है । इसके साथ साथ इस बात का भी प्रावधान इसमें किया गया है कि जिन लोगों को इस तरह का कार्य करने के लिये सजा मिले उनका किसी तरह का कोई चुनाव का पद भी नहीं रहने दिया जाये । मैं समझता हूं कि जो भावनाएं माननीय सदस्यों के मन में हैं उन भावनाओं को मूर्तरूप देने का इसमें यत्न किया गया है । इसलिये मैं उम्मीद करता करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is:.

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We move on to the Delhi High Court (Amendment) Bill, 1969.

THE DELHI HIGH COURT (AMENDMENT) BILL, 1969

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS. (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend the Delhi High Court Act, 1966, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, under Section 5(2) of the Delhi High Court Act, 1966, the Delhi High Court has ordinary original civil jurisdiction in every suit the value of which exceeds twenty-hve thousand rupees. Under Section 17(3) of that Act the Delhi High Court has such original jurisdiction in respect of the Union territory of Himachal Pradesh also. After the establishment of the Delhi High Court it was found that the limit of twenty-five thousand rupees for civil suits was too low a figure for such a big metropolitan city like Delhi, and that the Hif?h Court had started accumulating arrears. It was therefore considered necessary, in the interests of speedy disposal of work in the High Court, that the present limit of twenty-five thousand rupees for original suits should be raised, and the High Court should have ordinary original civil jurisdiction only in suits whose value exceeds